भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3823

सोमवार, 24 मार्च, 2025 / 03 चैत्र, 1947 (शक)

डीटीएनबीडब्ल्यूईडी योजना

3823. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) विशेष रूप से राजामुन्दरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को सशक्त बनाने में किस प्रकार योगदान देता है;

(ख) विगत पांच वर्षों में डीटीएनबीडब्ल्यूईडी कार्यक्रम से लाभान्वित श्रमिकों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) निधियों के आबंटन एवं व्यय की निगरानी करने तथा डीटीएनबीडब्ल्यूईडी परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) डीटीएनबीडब्ल्यूईडी कार्यक्रम की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने तथा सरकार के उद्देश्यों के साथ उनके संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार अधिक क्षेत्रीय केंद्र खोलने या विशिष्ट उद्योगों के लिए नई शैक्षिक पहल शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): संगठित क्षेत्रों में, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करता है: -

(i) उद्योगों और संगठनों के कामगारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ii) ट्रेड यूनियन के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

(iii) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष हस्तक्षेप कार्यक्रम।

जारी..2/-

असंगठित क्षेत्रों में, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित करता है:-

(i) कामगारों को उनके लिए तैयार की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में जागरूक करने के लिए जागरूकता-सह-पंजीकरण शिविर

(ii) श्रम चौक/कालोनियों/श्रमिक समूहों में उपलब्ध कामगारों के लिए श्रमिक चौपाल कार्यक्रम।

(iii) रोजगार क्षमता और प्रवीणता संवर्धन कार्यक्रम (ईपीईपी) का उद्देश्य कम कुशल कामगारों को प्रमाणन के साथ लघु अवधि के कौशल प्रशिक्षण द्वारा सक्षम बनाना है।

राजामुन्दरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी ने वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 28-02-2025 तक निधि के स्व-सृजन (2 मॉड्यूल) के लिए संगठित क्षेत्र में ग्यारह मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 220 कामगारों ने भाग लिया।

(ख) पिछले पांच वर्षों में डीटीएनबीडब्ल्यूईडी से लाभान्वित हुए कामगारों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा, अनुबंध 1 में संलग्न हैं।

(ग) निधियों के आवंटन और व्यय की निगरानी के तंत्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

- बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं जिसमें लक्ष्य, उपलब्धि, व्यय का रुझान, वार्षिक योजना आदि का ब्यौरा होता है।
- डीटीएनबीडब्ल्यूईडी को मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होते हैं।
- निधियों के आबंटन और व्यय की वार्षिक आम बैठक, वित्त उपसमिति और बोर्ड के शासी निकाय में समीक्षा की जाती है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बोर्ड मंत्रालय को उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।
- मंत्रालय और सीएजी द्वारा समय-समय पर आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है।
- बोर्ड के वार्षिक लेखे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 09 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाते हैं।

(घ) डीटीएनबीडब्ल्यूईडी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

- मंत्रालय ने दिनांक 27-9-2021 को डीटीएनबीडब्ल्यूईडी के भविष्य के रोडमैप और प्रशिक्षण मॉड्यूल/प्रशिक्षण सामग्री को पुनः व्यवस्थित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने फरवरी 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर लिया गया है।
- दिनांक 22-9-2023 को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) और डीटीएनबीडब्ल्यूईडी के उपनियमों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया

जारी..3/-

गया था। समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, एमओए और नियमों एवं विनियमों को जनवरी, 2024 में संशोधित किया गया।

- दिनांक 27-11-2024 को डीटीएनबीडब्ल्यूईडी के प्रशिक्षण मॉड्यूल की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया ताकि श्रमिक कल्याण और रोजगार से संबंधित समकालीन आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

(ङ) वर्तमान में, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, अपनाई गई नई शैक्षणिक पहलों का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

रोजगार सक्षमता और दक्षता संवर्धन कार्यक्रम (ईपीईपी): यह एक पांच दिवसीय कौशल-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विशेष क्षेत्र में मौजूदा कम कौशल वाले कामगारों के नौकरी की भूमिका-आधारित दक्षता में सुधार करना है ताकि उनकी रोजगार क्षमता में सुधार हो सके, जिसका अंतिम उद्देश्य कार्यस्थलों पर उचित काम के सिद्धांतों को क्रियान्वित करना है। वर्तमान में यह कार्यक्रम तीन क्षेत्रों के कामगारों को शामिल कर रहा है यथा सन्निर्माण, कृषि संबंधित और स्वास्थ्य देखभाल।

* *****

अनुबंध I

"डीटीएनबीडब्ल्यूईडी योजना" के संबंध में डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी द्वारा दिनांक 24.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3823 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों में डीटीएनबीडब्ल्यूईडी कार्यक्रम से लाभान्वित कामगारों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा।

राज्य-वार प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य नाम	2020 - 21	2021 - 22	2022 - 23	2023 - 24	2024 - 25 28 फरवरी, 25 तक	कुल प्रशिक्षित कामगार
		प्रशिक्षित कामगार	प्रशिक्षित कामगार	प्रशिक्षित कामगार	प्रशिक्षित कामगार	प्रशिक्षित कामगार	
1	आंध्र प्रदेश	1645	9672	14016	29345	24829	79507
2	अरुणाचल प्रदेश	252	71	80	296	0	699
3	असम	2643	9442	6581	24874	13040	56580
4	बिहार	5798	9360	7513	16519	13597	52787
5	चंडीगढ़	205	77	70	688	1018	2058
6	छत्तीसगढ़	3283	6479	9591	10340	11170	40863
7	दिल्ली	1656	7607	10817	16686	31044	67810
8	गोवा	5120	6608	12341	12579	4079	40727
9	गुजरात	13895	16278	25101	52906	45818	153998
10	हरियाणा	4116	7346	8011	16688	11552	47713
11	हिमाचल प्रदेश	1670	2852	4468	8445	6789	24224
12	जम्मू और कश्मीर	1896	3552	3615	9496	9889	28448
13	झारखण्ड	10720	27213	21850	47767	48108	155658
14	कर्नाटक	6823	15307	28871	59495	53187	163683
15	केरल	6185	11914	14349	20592	16501	69541
16	मध्य प्रदेश	21388	31262	39211	68972	48400	209233
17	महाराष्ट्र	12391	22902	26842	56495	47376	166006
18	मणिपुर	4080	8483	9504	7915	11496	41478
19	मेघालय	0	0	0	0	61	61
20	ओडिशा	14846	28007	45292	48186	47461	183792
21	पंजाब	1809	3211	4772	9015	6095	24902
22	राजस्थान	7962	10707	16383	34625	28776	98453
23	सिक्किम	0	0	0	286	0	286
24	तमिलनाडु	9341	30085	40584	50447	42615	173072
25	तेलंगाना	6876	12092	8145	14716	6172	48001
26	त्रिपुरा	20	0	0	616	0	636
27	उत्तर प्रदेश	28047	36452	51812	98092	76668	291071
28	उत्तराखंड	267	988	218	1041	140	2654
29	पश्चिम बंगाल	15853	30656	28471	60100	46934	182014
	कुल	188787	348623	438508	777222	652815	2405955

******